फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कानसिंह चौहान पिता श्री डाऊसिंह चौहान नि0 ग्राम मु. पो. सेमलिया तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 94 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05 / प्र.अपील 94 / 2024 / 6080 दिनांक 12.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र इस कार्यालय को जरिये डाक दिनांक 11.09.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के विधि अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग को पत्रांक 5058 दिनांक 11.09.2024 से ईप्सित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी विधि अनुभाग के पत्रांक 3661 दिनांक 19.09.2024 से इस कार्यालय को अवगत कराया कि ईप्सित सूचना में वर्णित प्रकरण निर्वाचन याचिका होने से प्रकरण के संबंध में कार्यवाही निर्वाचन अनुभाग से संबंधित होना बताया है, इस कार्यालय के पत्रांक 5074 दिनांक 23.09.2024 से प्रभारी अधिकारी निर्वाचन अनुभाग को ईप्सित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी निर्वाचन अनुभाग के पत्रांक 1651 दिनांक 23.09.2024 इस कार्यालय को उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार ईप्सित सूचना उपलब्ध करवाई गयी, इस कार्यालय के पत्रांक 6051 दिनांक 24.10.2024 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कि गई है अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की गई है।	

न्यायालय जिला कलक्टर

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना कार्यालय के पत्रांक 6051 दिनांक 24.10.2024 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवा दी जाने से अपील को खारिज किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)